न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2016/00056 दर्ज तिथिः–22.02.2016

1. मोहनसिंह पुत्र बिडदू सिंह दत्तक पुत्र नृरसिंह लाल राय जाति राजपूत उम्र 74 साल निवासी ग्राम डूमेडा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

......................वादीगण

बनाम

1. रघुवीर सिंह पुत्र बद्रीसिंह जाति राजपूत उम्र 64 साल निवासी डूमेडा हाल निवासी नोदां की ढाणी बानसूर तहसील बानूसर जिला अलवर राज0
2. भवानी सिंह पुत्र बद्रीसिंह जाति राजपूत उम्र 50 साल निवासी डूमेडा हाल निवासी नोदां की ढाणी बानसूर तहसील बानूसर जिला अलवर राज0
3. रतन कँवर बेवा बद्रीसिंह जाति राजपूत उम्र 77 साल निवासी डूमेडा हाल निवासी नोदां की ढाणी बानसूर तहसील बानूसर जिला अलवर राज0
4. दुष्यन्त सिंह राठौड पुत्र जितेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र 34 साल निवासी हमीरपुर हाउस, स्कीम नं0 01 मकान नम्बर 295 के सामने तीज की पुलिया चौकी के पास अलवर जिला अलवर राज0

................असल प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर।

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः– श्री डी0पी0 दीक्षित।
प्रतिवादीगण अधिवक्ता :– श्री कमलेश सैनी ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 16.05.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:22 IST
Reason: SelfAttested

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत तकासमा अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तका[illegible] स्थाई निषेधाज्ञा का वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुआ [illegible] प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया [illegible] कि संयुक्त हाल आराजी खसरा नंबर 46 रकबा 0.27 हे0, 191 रकबा 0.22 बीघा ग्राम डूमेडा तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी

एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीगण को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण हाजा न्यायालय में असालतन–वकालतन में कोई उपस्थित हुए। वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 ने प्रतिवादी संख्या 04 को रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर बेचान कर दिया। उक्त आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायात 03 को कोई सम्बन्ध–सरोकार नहीं है। अतः दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है। वादी के वाद पत्र के अवलोकन के पश्चात निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयें:–

   1. आया संयुक्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण विभाजन करवाकर पृथक–पृथक खाता कायम करवाने के अधिकारी है।
      ....उभय पक्षकारान
   2. आया संयुक्त आराजी को वादीगण व प्रतिवादीगण विभाजन करवाकर पृथक–पृथक खाता कायम करवाकर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
      ....उभय पक्षकारान
   3. अन्य दादरसी।
      ....उभय पक्षकारान

3. तनकी संख्या–1 पर वादी एवं प्रतिवादीगण दिनांक 29.11.2021 को प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2021 में कैम्प स्थल अंगारी पर वास्ते सुनवाई हेतु पेश हुई। पक्षकारानों की सहमति के आधार पर वाद पत्र को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार थानागाजी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। राजस्व कार्मिक कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु मौके पर पहुँचे। हाल आराजी खसरा नंबर 46 रकबा 0.27 है0, 191 रकबा 0.22 वाके ग्राम डूमेडा पर जब वाद न्यायालय में दायर किया उस समय संयुक्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज था। वर्तमान में उक्त आराजी के खातेदार हाल जमाबन्दी में मोहनसिंह पुत्र बिडद सिंह हिस्सा 1/2 व सुमेर सिंह पुत्र मोहन सिंह हिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त दोनों खातेदार पिता–पुत्र है तथा उक्त आराजी का तकासमा नहीं कराने बाबत मौके पर पहुँचे राजस्व कार्मिकों से अनुरोध किया। इस प्रकार वादी द्वारा स्वयं अपने दावे को खारिज कर [illegible] करने का निवेदन किया। न्यायालय में उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा राजस्व कार्मिकों की उक्त रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:22 IST
Reason: SelfAttested

मोहन सिंह बनाम रघुवीर सिंह

2016/00056

निर्णय दिनांकः–16.05.2023

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा वादी द्वारा स्वयं अपने दावे को खारिज कराने के निवेदन के आधार पर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 16.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:22 IST
Reason: SelfAttested